


01.08.24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 16.08.2022 को स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादग्रस्त आराजियात की मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। दाखिल दफतर हो।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
निम्बाहेड़ा

